

## कार्यालय नगर परिषद, जालोर (राजस्थान)

69ए के तहत चैक लिस्ट

निम्नांकित दस्तावेजों में से कोई दो दस्तावेज अनिवार्य है :-

01. 69 के तहत आवेदन पत्र मय शपथ पत्र नोटरी शुदा
02. रियायतकालीन समय से राजा/जागीरदार/ठिकानेदार द्वारा जारी पट्टे/रजिस्ट्री/दानपत्र/बखिशानामा/बहीपत्र/तत्समय के अन्य कोई दस्तावेज/राज्य अभिलेखागार/जिला कलेक्टर के रिकार्ड से प्राप्त पट्टे व अन्य दस्तावेज।

अथवा

-कस्टोडियन के पट्टे/आवंटन पत्र

अथवा

-परकोटा क्षेत्र के सिटी सर्वे में निजी दर्ज स्वामित्व की भूमि/भवन के दस्तावेज

अथवा

-पूर्व में नगर निकाय द्वारा जारी स्टेट ग्रान्ट के पट्टे/आवंटन पत्र/कब्जा नियमन/विक्रय पत्र/आवंटन पत्र

अथवा

-पंचायत जो नगरीय सीमा में सम्मिलित हैं, द्वारा जारी पट्टे/आवंटन पत्र/अधिकार पत्र इत्यादि अथवा

-दिनांक 01.01.1992 से 31.12.2018 तक निष्पादित बेचाननामा/पारिवारिक बंटवारानामा/वसीयत जिसके आधार पर आवेदक को अधिकार प्राप्त हैं तथा वर्तमान में उसका संबंधित सम्पत्ति पर अधिकार/कब्जा है।

अथवा

-किसी सक्षम न्यायालय द्वारा आवेदक के पक्ष में स्वामित्व के संबंध में पारित आदेश या डिकी

अथवा

--नगर निकाय द्वारा दिनांक 31.12.2018 से पूर्व जारी की गयी निर्माण स्वीकृतियां

अथवा

-कब्जा साक्ष्य के रूप में दिनांक 31.12.2018 से पूर्व के बिजली/पानी के बिल

अथवा

-दिनांक 31.12.2018 से पूर्व तत्समय की वोटर लिस्ट

अथवा

-दिनांक 31.12.2018 से पूर्व तत्समय की गृह कर की रसिद या नगर निकाय के रिकार्ड में अंकन।

अथवा

-दिनांक 31.12.2018 से पूर्व तत्समय की नगर निकाय रिकार्ड में दर्ज कोई अन्य प्रविष्टि जिसमें आवेदक का सम्पत्ति पर अधिकार विदित हो।

अथवा

-आस-पड़ोस के 60 वर्ष से अधिक उम्र के दो व्यक्तियों के शपथ पत्र जिसमें दिनांक 31.12.2018 से पूर्व आवेदक का सम्पत्ति पर निर्विवाद कब्जा/अधिकार दर्शाया जावे।

अथवा

-आवेदित मकान के पते पर दिनांक 31.12.2018 से पूर्व की प्राप्त डाक एवं निकाय द्वारा या किसी राजकीय विभाग या उपकम या न्यायालय का नोटिस अथवा अधिकारिक दस्तावेज जिसमें प्रश्नगत भूमि व स्वामित्व को अंकित किया गया है।

अथवा

-राजा महाराजाओं/जागदारों आदि द्वारा जारी पट्टे/रजिस्ट्रियां/दान-पात्र से लेकर आवेदक तक स्वामित्व की निरन्तरता के सम्पूर्ण दस्तावेज।

अथवा

-प्राधिकृत अधिकारी के रूपान्तरण आदेश के आवंटन पत्र से लेकर आवेदक तक के स्वामित्व के सम्पूर्ण निरन्तरता दस्तावेज।

अथवा

-यदि गैर-मुमकिन आवादी गैर-कृषि भूमि खातेदारी तौर पर दर्ज हैं तो आवेदनकर्ता तक के स्वामित्व के सम्पूर्ण दस्तावेज।

प्रारूप-1

(नियम-4(1) देखिए)

भूमि के अधिकारों के अभ्यर्पण की अनुज्ञा के लिए आवेदन

प्रेषिति,  
आयुक्त  
नगर परिषद् जालोर

**विषय :-** नगर परिषद् क्षेत्र में अवस्थित राजस्थान अधिनियम,2009 की धारा में विनिर्दिष्ट भूमि के अधिकारों के अभ्यर्पण की अनुज्ञा के लिए और पूर्ण स्वामित्व पट्टा की मंजूरी के लिए आवेदन।

श्रीमान,

मै/हम, भूमि में के विद्यमान अधिकारों के अभ्यर्पण की अनुज्ञा के लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम,2009 की धारा 69-क के अधीन इसके द्वारा आवेदन करता हूँ/करते हैं, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी हैं:-

1.	आवेदन के ब्यौरे (क) नाम (ख) पिता/पति का नाम (ग) पूरा पता	
2.	क्षेत्र का ब्यौरा जिसके लिए आवेदन किया गया है (क) ग्राम और तहसील या वार्ड और शहर का नाम (ख) मकान संख्या और क्षेत्र	
3.	आवेदन के साथ संलग्नक (क) भूमि में के अधिकारों के समर्थन में दस्तावेज जैसे विक्रय विलेख इत्यादि की प्रमाणित प्रति और पूर्व,पश्चिम,उत्तर,दक्षिण के पड़ोस सहित आवेदित और पाश्वरस्थ भूमि के ब्यौरे। (ख) प्ररूप-2 में नोटरी पब्लिक/शपथ आवेदक द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित शपथ पत्र (ग) प्ररूप-3 में नोटरी पब्लिक द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र	
4.	क्या भूखण्ड सीमा में कोई हाई/लो टेन्शन लाइन या ट्रान्सफार्मर है?	
5.	क्या आवेदित भूमि अर्जन के अधीन है?	
6.	क्या आवेदित भूमि के संबंध में कार्यवाहियां नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन लम्बित हैं?	
7.	क्या भूमि देवता या वक्फ से संबंधित है?	

8.	क्या भूमि केन्द्रीय या राज्य सरकार या केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा गठित या के नियंत्रण के अधीन किसी लोक उपक्रम या प्राधिकरण या कानूनी निकाय या अकानूनी निकाय से संबंधित है?	
9.	रेल्वे लाईन, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और अन्य किसी सड़क से दूरी	
10.	लम्बित न्यायालय प्रकरण (यदि कोई हो)	
11.	किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित रोक आदेश या व्यादेश के ब्यौरे	
12.	आवेदित भूमि की पहुंच सड़क की चौड़ाई	
13.	मास्टर योजना/सेक्टर योजना के अधीन वर्तमान भू उपयोग	
14.	संदेय प्रभार	
15.	चालान की संख्या और तारीख जिसके द्वारा फीस निक्षिप्त की गयी है।	
16.	कोई अन्य सुसंगत जानकारी	
17.	दस्तावेज की कुल संख्या	
18.	पृष्ठों की कुल संख्या	
19.	आवेदन की तारीख	
20.	भूखण्ड का ब्ल्यूप्रिन्ट नक्शे की 3 प्रति	

#### घोषणा

- मैं/हम, इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त विशिष्टियां मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।
- यह घोषणा की जाती है कि अनुज्ञा के लिए शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बंधपत्र और उपर्युक्त वर्णित दस्तावेजों के साथ इसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन सत्य और सही है और आवेदक नगर परिषद् के पक्ष में भूमि के अधिकारों का अभ्यर्पण करने लिए सक्षम है। मैं/हम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69—के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए, उक्त भूमि के उपयोग करने के मेरे/हमारे अधिकारों को निर्वापित करने का इच्छुक हूँ/इच्छुक है। अतः मुझे/हमें विधि के अनुसार अपेक्षित अनुज्ञा मंजूर करें।
- इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उपर्युक्त भूमि, जिसके लिए अनुज्ञा चाही गयी है, इन नियमों के अधीन विनिर्दिश्ट किसी निर्बन्धित प्रवर्ग के अधीन नहीं है।

आवेदक के हस्ताक्षर  
(नाम)

आवेदक का पता

.....

संपर्क करने का संख्यांक और ई—मेल पता

.....

शपथ-पत्र 100/- रु. का नोटरीशुद्धा

प्रस्तुप-2

(नियम-4(1)देखिए)

शपथ-पत्र

मैं/हम

1. श्री.....पुत्र श्री .....आयु ..... निवासी.....  
.....तहसील.....जिला.....
2. श्री.....पुत्र श्री .....आयु ..... निवासी.....  
.....तहसील.....जिला.....

इसके द्वारा शपथ लेता हूँ/लेते हैं और निम्नलिखित रूप से घोषणा करता हूँ/करते हैं :-

1. कि मैं/हम नीचे वर्णित भूमि का /के धारक हूँ/है और ऐसी भूमि का पूर्ण स्वामित्व पट्टा विलेख जारी करने के लिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69-क और तदीन बनाएं गये नियमों के अधीन अभ्यर्पण की अनुज्ञा मंजूर करने के लिए आवेदित भूमि के बारे में किसी न्यायालय द्वारा कोई रोक/अध्यादेश प्रवृत्त नहीं है।

क्र0सं0	भूमि के सम्पूर्ण ब्यौरे अर्थात् वार्ड/कॉलोनी/गली और पडोस द्वारा सीमाबद्ध	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौडाई सहित क्षेत्र (वर्ग मीटर में)

2. कि मैं/हम आवेदन में वर्णित प्रयोजन के लिए और सुसंगत विधियों के उपबन्धों के अनुसार अपने अधिकारों को अभ्यर्पित करने का/के इच्छुक हूँ/है।
3. कि मैं/हम नगर परिषद् को लागू विद्यमान विधियों और नियमों के अनुसार समस्त शोध्यों और रकम का संदाय करने के लिए इसके द्वारा स्वयं पाबंद रहूँगा/रहेगे।
4. कि राज्य सरकार और नगर परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त निर्देशों और आदेशों का आवेदकों द्वारा पालन किया जायेगा।
5. कि आवेदित भूमि केवल उसी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जावेगी। जिसके लिए यह मंजूर की गयी अनुज्ञा के अनुसार नगर परिषद् पक्ष के अधिकारों के अभ्यर्पण से पूर्व धारित की गयी थी और नगर परिषद् के विहित मानकों और अनुमोदित योजना के अनुसार विकसित की जायेगी। उक्त भूमि विद्यमान विधि के अधीन नगर परिषद् की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी अन्य उपयोग के लिए नहीं रखी जावेगी।
6. कि आवेदन के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य और प्रमाणिक हैं और मेरे द्वारा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।
7. कि मैं/हम नगर परिषद् के संबंध में लागू सुसंगत भवन उप विधियों, नियमों, नियमों के उपबन्धों का इसके द्वारा स्वयं पालन करूँगा/करेंगे।

अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं/हम उपर्युक्त नामित अभिसाक्षी इसके द्वारा सत्यापित करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त शपथ पत्र के पैरा 1 से 7 तक की अन्तर्वस्तु सत्य और सही है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है और इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है। अतः ईश्वर मेरी सहायता करें।

अभिसाक्षी

मेरे द्वारा पहचान किया गया।

शपथ—पत्र 100/- रु. का नोटेरीशुद्धा

प्रूप-3  
(नियम-4(1)देखिए)

शपथ—पत्र

मैं/हम

1. श्री..... पुत्र श्री .....आयु.....  
निवासी..... तहसील.....जिला.....
2. श्री..... पुत्र श्री .....आयु.....  
निवासी..... तहसील.....जिला.....

इसके द्वारा शपथ लेता हूँ/लेते हैं और निम्नलिखित रूप से घोषणा करता हूँ/करते हैं :—

(1) कि मैं/हम, इसके नीचे वर्णित भूमि, जिसके लिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा-69-क के अधीन अनुज्ञा की मंजूरी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है, का/के धारक हूँ/है।

क्रं0स.	भूमि के सम्पूर्ण ब्यौरे अर्थात् वार्ड/कॉलोनी/गली और पड़ौस द्वारा सीमाबद्ध	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौड़ाई सहित क्षेत्र (वर्ग मीटर में)

(2) कि मैं/हम, मामले में नगर परिषद् द्वारा मंजूर की गयी अनुज्ञा के कारण कारित किसी हानि, यदि कोई हो के लिए नगर परिषद् को क्षतिपूर्ति करने के लिए स्वयं को इसके द्वारा पाबन्द करता हूँ/है।

(3) कि मैं/हम मंजूर की गयी अनुज्ञा या विक्रय विलेख के निष्पादन या अन्यथा के या आवेदक द्वारा कारित किसी कृत्या या लोप के कारण मामले में उद्भूत किसी विवाद के कारण कारित हानि, यदि कोई हो, के लिए नगर परिषद् को क्षतिपूर्ति करने के लिए स्वयं को इसके द्वारा पाबन्द करता हूँ/है।

(4) कि नगर परिषद् को आवेदक की ओर से किसी शर्त, नियम या आदेश के भंग पर आवेदक की अनुज्ञा को प्रत्याहत करना और पट्टा विलेख को रद्द करने का अधिकार होगा और आवेदक इस प्रक्रिया में किसी को कारित किसी धनीय हानि के लिए दायी होगा।

आवेदक

शपथ—पत्र 100/- रु. का नोटेरीशुद्धा  
गवाह का शपथ—पत्र

मैं श्री.....पुत्र/पत्नि श्री/श्रीमती.....जाति.....आयु....  
.....निवासी.....वार्ड नं .....जालोर जिला  
जालोर (राजस्थान) का रहने वाला हूँ।

1. मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि 69—क के तहत पट्टे के आवेदक श्री.....  
पुत्र/पत्नि श्री/श्रीमती.....जाति.....आयु.....  
निवासी.....वार्ड नं .....जालोर जिला जालोर  
(राजस्थान) का रहने वाला है। जिसको मैं निजी रूप से ..... वर्षों से जानता हूँ तथा  
उनके द्वारा आवेदन के साथ दिये गये सम्पूर्ण ब्यौरा सही है।
2. यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य छुपाया जाता है तो उक्त पट्टा स्वतः की निरस्त माना जावेगा एवं  
मेरे खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

### सत्यापन

उपरोक्त शपथ पत्र की मद संख्या 1 व 2 को अपने स्वयं के निजी ज्ञान और विश्वास के  
आधार पर सही और सत्य होना स्वीकार करता/करती हूँ।

वामुकान .....  
दिनांक .....

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

शपथ—पत्र 100/- रु. का नोटेरीशुद्धा

### गवाह का शपथ—पत्र

मैं श्री..... पुत्र/पति श्री/श्रीमती..... जाति..... आयु....  
.....निवासी..... वार्ड नं ..... जालोर जिला  
जालोर (राजस्थान) का रहने वाला हूँ।

1. मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि 69—क के तहत पट्टे के आवेदक श्री.....  
पुत्र/पति श्री/श्रीमती..... जाति..... आयु....  
निवासी..... वार्ड नं ..... जालोर जिला जालोर  
(राजस्थान) का रहने वाला है। जिसको मैं निजी रूप से ..... वर्षों से जानता हूँ तथा  
उनके द्वारा आवेदन के साथ दिये गये सम्पूर्ण व्यौरा सही है।
2. यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य छुपाया जाता है तो उक्त पट्टा स्वतः की निरस्त माना जावेगा एवं  
मेरे खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

### सत्यापन

उपरोक्त शपथ पत्र की मद संख्या 1 व 2 को अपने स्वयं के निजी ज्ञान और विश्वास के  
आधार पर सही और सत्य होना स्वीकार करता/करती हूँ।

वामुकान .....  
दिनांक .....

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

शपथ—पत्र 100/- रु. का नोटेरीशुद्धा

## सहमति शपथ—पत्र

मैं/हम

1.	श्री.....	पुत्र श्री .....	आयु.....
2.	श्री.....	पुत्र श्री .....	आयु.....
3.	श्री.....	पुत्र श्री .....	आयु.....
4.	श्री.....	पुत्र श्री .....	आयु.....
5.	श्री.....	पुत्र श्री .....	आयु.....
6.	श्री.....	पुत्र श्री .....	आयु.....
7.	श्री.....	पुत्र श्री .....	आयु.....
8.	श्री.....	पुत्र श्री .....	आयु.....
9.	श्री.....	पुत्र श्री .....	आयु.....
10.	श्री.....	पुत्र श्री .....	आयु.....
	निवासी.....	तहसील.....	जिला.....

- कि मैं/हम आवेदन में वर्णित आवेदक के नाम 69—क के तहत पट्टा नक्शा मुताबिक क्षेत्रफल..... जारी करने हेतु अपनी सहमति प्रदान करते हैं।
- मैं/हम शपथ व्यान करते हैं कि इनके अलावा उक्त भूमि पर कोई काबिज नहीं है ना कोई हिस्सेदार है।
- मैं/हम शपथ ब्यान करते हैं कि उक्त भूमि पर पारिवारिक/न्यायालय/मंदिरमाफी/कुण्ड आदि का विवाद नहीं है।
- मैं/हम शपथ ब्यान करते हैं कि उक्त भूमि पर किसी वाद/विवाद की स्थिति में पट्टा स्वतः ही निरस्त समझेगे/समझा जावेगा।
- मैं/हम शपथ ब्यान करते हैं कि किसी प्रकार का कोई तथ्य छुपाते हैं तो स्वयं जिम्मेवार होगे। नियमानुसार हमारे विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार नगर परिषद जालोर को होगा।
- मैं/हम शपथ ब्यान करते हैं कि पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों में किसी प्रकार की काट—छाट नहीं की गई है। अगर कोई काट—छाट पाई जाती है तो मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

मैं श्री.....पुत्र श्री.....निवासी.....  
.....सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र की मद संख्या 1 लगायत 6 तक स्वयं के निजी ज्ञान व विश्वास के आधार पर सही व सत्य होना स्वीकार करता/करती हूँ।

हस्ताक्षर शपथकर्ता